

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 183/2026

संकल्प सिद्धि सिसौदिया

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिवि गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं 3 अन्य ... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – विनय कुमार, मयंक श्रीवास्तव

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसे अभिलेख पर लिया गया है, और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अभियोजन वाद में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 05.09.2025 को लगभग रात्रि 11:00 बजे, जब शिकायतकर्ता एलडीए मार्केट, गोमती नगर में भोजन कर रहा था तब बैठने के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद अभियुक्तगण ने कथित तौर पर उसे गाली दी और हत्या करने के आशय से उस पर हमला किया। यह कहा गया है कि अभियुक्तगण में से एक ने उसके सिर पर पिस्तौल की मूठ से वार किया, और उसके बाद कथित तौर पर उसे स्कॉर्पियो वाहन से कुचलने का प्रयास किया गया। तमाशबीनों के हस्तक्षेप के कारण शिकायतकर्ता को बचा लिया गया, जिसके बाद अभियुक्तगण मौके से भाग गए। पुलिस को सूचित किया गया, शिकायतकर्ता को अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, और होश में आने पर उसने प्राथमिकी दर्ज कराई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी प्राथमिकी में नामजद नहीं है और अभियोजन पक्ष के मामले में आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मात्र अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि घटना में कथित रूप से संलिप्त वाहन प्रार्थी का नहीं है और घायल को मात्र साधारण चोटें आई हैं। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने न्यायालय का ध्यान इंजरी रिपोर्ट की ओर आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि चिकित्सकीय-विधिक परीक्षण के दौरान, घायल को आई चोटों की प्रकृति में साधारण बताया गया था। हालांकि घायल को एक्स-रे परीक्षण के लिए भेजा गया था, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट में कोई असामान्यता दर्ज नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, और न ही घायल ने प्रार्थी के विरुद्ध कोई विशिष्ट या स्पष्ट आरोप लगाया है। प्रार्थी या किसी भी सह-अभियुक्त से किसी भी अभियोजनकारी वस्तु की कोई बरामदगी नहीं हुई है।

यह तर्क भी दिया गया है कि घायल के बयान और कारित हुयी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, यह मामला अधिक से अधिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के अंतर्गत ही हो सकता था, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (भा.दं.सं. की धारा 307 के अनुरूप) को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व पूर्ण रूप से अनुपस्थित हैं। प्रार्थी दिनांक 30.10.2025 से न्यायिक हिरासत में है और उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

सह-अभियुक्त तुषार यादव को जमानत संख्या 12656 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा जमानत प्रदान कर दी गई है।

यह तर्क भी दिया गया है कि जेल से रिहा होने के बाद प्रार्थी के फरार होने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

घायल को आई चोटों की प्रकृति, घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों, उपरोक्त सह-अभियुक्त के जमानत आदेश, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रार्थी बिना किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के दिनांक 25.10.2025 से हिरासत में है, यह न्यायालय इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।

तदनुसार, समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

थाना- गोमती नगर, जिला- लखनऊ में दर्ज अपराध संख्या 420/2025 अंतर्गत धारा- 109(1)/191(2)/115(2)/131/351(2)/352/3(5) भारतीय न्याय संहिता में संलिप्त प्रार्थी संकल्प सिद्धि सिसोदिया को व्यक्तिगत बंध पत्र और संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त(शर्तें) भी अधिरोपित की जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ इस जमानत प्रार्थनापत्र तक ही सीमित हैं और इनका मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

30 मार्च, 2026

केकेबी